

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2015/आश्विन 14, 1937

No. 614] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2015/ASVINA 14, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुंबई, 6 अक्तूबर, 2015

सं. फेमा. 353/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवां संशोधन) विनियमावली, 2015

सा. का.नि. 759 (ब).—िविदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवां संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में,

4223 GI/2015 (1)

(ए) पैराग्राफ 2 में,

- (i) मौजूदा उप-पैराग्राफ (3), पैराग्राफ 2सी के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।
- (ii) मौजूदा उप-पैराग्राफ (2) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात:-
 - "(3) कोई अनिवासी भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित और अधिशासित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में अंशदान कर सकता है वर्शतें ऐसा अंशदान सामान्य बैंकिंग चैनल से किया जाए और ऐसा अंशदाता व्यक्ति भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एतदर्थ पात्र हो। वार्षिकी और संचित बचत निधियां प्रत्यावर्तनीय होंगी।"
- (iii) पैराग्राफ 2 में उप-पैराग्राफ (3) जोड़ने के बाद, मौजूदा पैराग्राफ 2सी को पैराग्राफ 2 में उप-पैराग्राफ (4) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।
- (बी) पैराग्राफ 3 में, मौजूदा उप-पैराग्राफ (2) के बाद निम्नलिखित उप-पैराग्राफ अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

"(2ए) कोई अनिवासी भारतीय जो इस अनुसूची के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान करता है वह सामान्य बैंकिंग चैनल आवक विष्रेषण द्वारा अथवा NRE/FCNR/NRO खाते में जमा निधियों से भुगतान कर सकेगा।"

[फा. सं. 1/26/ई एम/2015]

बी॰ पी॰ कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं.406(अ) के जिर्य सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013

_		0
सा.का.नि.	सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013	सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि.	सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि.	सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013	सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि.	सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 487 (अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि.	सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 632 (अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि.	सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 798 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि.	सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 799 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि.	सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	सा.का.नि. सं. 800 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि.	सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	सा.का.नि. सं. 829 (अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि.	सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि.	सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014	सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि.	सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014	सा.का.नि. सं. 30 (अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि.	सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014	सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि.	सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014	सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
सा.का.नि.	सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014	सा.का.नि. सं. 484 (अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि.	सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014	

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th October, 2015

No. FEMA. 353/2015-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 759 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:-

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 5:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 5,

- (A) in paragraph 2,
 - (i) the existing sub-paragraph (3) shall be re-numbered as Paragraph 2C
 - (ii) after the existing sub-paragraph (2), the following shall be added namely:-
 - "(3) A Non-Resident Indian may subscribe to National Pension System governed and administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), provided such subscriptions are made through normal banking channels and the person is eligible to invest as per the provisions of the PFRDA Act. The annuity/accumulated saving will be repatriable."

- (iii) after adding sub-paragraph (3) in paragraph 2, the existing paragraph 2C shall be re-numbered as sub-paragraph (4) in Paragraph 2.
- (B) In paragraph 3, after the existing sub-paragraph (2), the following shall be inserted namely:-

"(2A) A non-resident Indian who subscribes to the National Pension System, under sub-paragraph (3) of paragraph (2) of this Schedule shall make payment either by inward remittance through normal banking channels or out of funds held in his NRE/FCNR/NRO account."

[F. No. 1/26/EM/2015]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014

G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014	